

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म0प्र0)

-:: परिपत्र ::-

क्रमांक: 08 /को.वा./2020

खण्डवा, दिनांक 20 जुलाई, 2020

- विषय :-** कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण न्यायालय में सीमित कार्य व्यवस्था (Limited Functioning) में समयावृद्धि बाबत।  
**संदर्भ :-** माननीय उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर का परिपत्र क्रमांक सी/1778 जबलपुर, दिनांक 19.07.2020 के पालन में।

.....000.....

संदर्भित परिपत्र के पालन में जिला न्यायालय खण्डवा एवं सिविल न्यायालय तहसील हरसूद, पुनासा जिला खण्डवा में न्यायालयीन कार्य के संचालन हेतु पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय से जारी सभी दिशा-निर्देश, परिपत्र और उनके परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय से जारी सुसंगत परिपत्रों की निरंतरता में आदेशित किया जाता है कि सीमित कार्य व्यवस्था (Limited Functioning) की अवधि दिनांक 20.07.2020 से दिनांक 25.07.2020 तक यथावत लागू रहेगी। जिस रीति व प्रकार से और जिस समयावधि में न्यायालयों द्वारा कार्य सम्पादित किया जा रहा था; उसी रीति व प्रकार से आगे दिनांक 25.07.2020 तक भी निष्पादित किया जावेगा।

न्यायालयीन कार्य के सहज व सुचारु ढंग से संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार दिन-प्रतिदिन सिविल/दाण्डिक मामलों की सुनवाई का समय न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है।

स्थापना पर कार्यरत न्यायिक अधिकारी/तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के अवकाश स्वीकृति उपरांत मुख्यालय से बाहर प्रस्थान किये जाने की दशा में स्थानीय प्रशासन के आदेशानुसार निर्धारित पास प्राप्त करने के बाद आवश्यक, सुसंगत शर्तों के अधीन ही मुख्यालय से बाहर जा सकेंगे।


संलग्न :- संदर्भित परिपत्र

*sdv*  
(एल0डी0 बौरासी)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
पूर्व निमाड, खण्डवा (म0प्र0)

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष न्यायाधीश/परिवार न्यायालय/प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/षष्ठम् सिविल जज वर्ग-1 खण्डवा/हरसूद/पुनासा, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सिविल जज वर्ग-2, खण्डवा एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 2- कलेक्टर, जिला खण्डवा,
- 3- पुलिस अधीक्षक जिला खंडवा,
- 4- अध्यक्ष, कम्प्यूटर समिति/समस्त अनुभाग प्रभारी जिला न्यायालय खंडवा/सिविल न्यायालय तहसील हरसूद/पुनासा,
- 5- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, खण्डवा/हरसूद/पुनासा,
- 6- प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय, खण्डवा।
- 7- सिस्टम ऑफिसर सर्वर रूम खंडवा/सिस्टम असिस्टेंट,
- 8- प्रशासनिक/उप-प्रशासनिक अधिकारी/समस्त कर्मचारीगण जिला न्यायालय खण्डवा/सिविल न्यायालय हरसूद/पुनासा, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- संदर्भित परिपत्र

  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)